



Neutral Citation No. - 2026:AHC:20336

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 471 वर्ष 2025

कमलेश

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: प्रियव्रत त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, योगेश मिश्रा

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

यह दूसरी जमानत याचिका है।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रियव्रत त्रिपाठी, शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश मिश्रा और राज्य की ओर से विद्वान एजीए की बात सुनी गई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस जमानत याचिका के माध्यम से आवेदक ने रामगढ़ पुलिस स्टेशन, जिला फिरोजाबाद में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 626/2023 में धारा 147, 149, 302, 201, 120बी और 34 भारतीय दंड संहिता के तहत जमानत पर रिहा होने की प्रार्थना की है। आवेदक 15.11.2023 से जेल में है।

आवेदक की पहली जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा 28.11.2024 को खारिज कर दी गई थी।

मुकदमा चल रहा है। इस स्तर पर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत के लिए कोई नया आधार नहीं बताया गया है।

मामले की खूबियों में जाए बिना, जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

फिरोजाबाद के माननीय जिला न्यायाधीश यह सुनिश्चित करेंगे कि आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 38930/2024 में दिनांक 28.11.2024 के आदेश द्वारा इस न्यायालय के निर्देशों का, मुकदमे को शीघ्र समय सीमा में समाप्त करने के संबंध में, कड़ाई से पालन किया जाए।

29 जनवरी 2026

वंदित

(न्यायमूर्ति अजय भनोट)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।